ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बलोठ में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री देव राज	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्यार सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर बारे ।	4.2	2.01

2	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1,7.2	0.08
3	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	8.1	0.63
4	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के बिना अनियमित भुगतान करने बारे।	8.2	15.43
5	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.73
6	आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	8.4	0.31
7	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री पर वॉइड्स की कटौती न करने बारे	8.5	1.46
8	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	8.6	14.06

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24-05-2025 से 01-06-2025 तक ग्राम पंचायत बलोठ के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	05/2024	05/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 31-05-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत बलोठ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान**

ग्राम पंचायत बलोठ के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है । जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है।

<u>स्व:-स्त्रोत व अनुदान</u>

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	**1.स्व:-स्त्रोत**	₹26,83,749.0	₹ 81,69,901.0	₹ 1,08,53,650 .0	₹ 78,63,133.0	₹ 29,90,517.0
	2.अनुदान	₹ 00.0	₹ 1,86,68,865 .0	₹1,86,68,865.0	₹ 1,86,68,111 .0	₹ 754.0
	कुल	**₹26,83,749.0**	**₹ 2,68,38,766**	**₹2,95,22,515**	**₹2,65,31,244**	**₹29,91,271**

कुल योग ₹ 29,91,271.0

(ब) ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31-03-2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	मद	राशि 31-03-2025
1.	17010107057,	HPSCB CHAMBA	GENERAL	₹ 5,56,798.0
2.	99151301503192,	HPGB DHARWALA	GENERAL	₹ 20,95,569.0
3.	11753195503	SBI MEHLA	GENERAL	₹ 3,81,474.0
4	30820240505	SBI MEHLA	BRGF	₹51,008.0
5	20110103909,	HPSCB DHARWALA	RGSA	₹ 16,017.0
6	99150100002927	HPGB DHARWALA	WDF	₹91,938
			cash in hand	₹ 00.0
		कुल		₹ 31,92,804.0

अन्तर (अ – ब) ₹ 29,91,271-₹ 31,92,804= ₹ (-)2,01,533.0

राशि **₹ (-) 2,01,533.0** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2.01 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **परिशिष्ट -3** अनुसार **₹ (-) 2,01,533.0** का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक :- 30.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.3 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। ई-ग्राम स्वराज के अतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रारम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई अंकेक्षण में पता नही लग सका। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 30-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को मद/ शीर्ष अनुसार तैयार किया जाएगा।

अतः भविष्य में उक्त मदों/शीर्षों को अलग अलग दर्शाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

4.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट अन्य प्राप्त अनुदानों/मदों को भी पंचायत द्वारा स्वः-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 30-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्वः स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक :- 30-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान

6.1 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 30-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.2 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 27-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेखों को संबधित कर्मचारी से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगें । अतः उक्त अभिलेखों

को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 निर्माण कार्यों से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के 88 के अनुसार किसी भी विकास कार्य के निष्पादन के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक व कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, निर्माण कार्यों के कार्य स्तर पर लिए गये फोटोग्राफ इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये थे।

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 27-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, उक्त अभिलेखों को संबंधित कर्मचारी से प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.07 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संगृहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गब वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा गृह कर की

वसूली नियमानुसार नही की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹**7180/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2024-25	13580	418	50	20900	34480	27300	7180

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 26-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संगृहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.007 लाख को सरकारी कोष में जमा करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में APL परिवार से ₹200 प्रति पंजीकरण तथा BPL परिवार से ₹25 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष , 2024-25 के दौरान **परिशिष्ट-4** अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वसूली गई राशि **₹700** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2024-25	700
	योग	**700**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 26-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.64 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders), कुटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बलोठ द्वारा राशि ₹63540/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु निविदाएँ तो आमंत्रित की गई थी किन्तु उक्त निविदाओं से सम्बंधित औपचारिकतायें या तो अधूरी थी या अपूर्ण थी जसमे निविदाओं को सादे कागज पर आमंत्रित करना, आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना लेटर पैड पर निविदा भरना, सरकारी कर से सम्बंधित दस्तावेज जेसे GST पंजीकरण , पिछली आयकर की रिटर्न का ब्यौरा इत्यादि भी सलग्न नही थे।

क्र० सं	विवरण	निधि का नाम	वाउचर संख्या /दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	**MR. Sham lal S/O Vijay Kumar**	SF	P-48/2208.2024	TILES,PAINT	25590
2	**Jalpa Enterprises vpo churi**	SF	P-88/07.02.25	TILES	37950
				Total	**63,540**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या -07 दिनांक 28-05-2025 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बलोठ के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "उपरोक्त औपचारिकताएं अधूरी है जिन्हें भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा ।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है ।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹15.43 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनाक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को राशि ₹**15,42,830.0** का अनियमित भुगतान किया गया। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 05"** में दर्शाया गया है ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः -06 दिनांक 27.05.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी । अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.73 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि **₹15,42,830.0** का भुगतान किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹**73,468**/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 05"** में दर्शाया गया है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 27-05-2025 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के संबंध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गएमा भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके संबंधित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय

से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.31 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹15,42,830.0** का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹30,857/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है। जिसे **"परिशिष्ट संख्या - 05"** में दर्शाया गया है।

इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 27-05-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, जीएसटी TDS की कटौती की वसूली कर ली जाएगी।

अत :उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8.5 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹1.46 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री को परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियाँ (Voids) की 12.5% व 5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने के उपरान्त आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते हुए 12.5% व 5 % की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 06**" के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर आपूर्तिकर्ता को पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर व बजरी पर 5 % की दर से रिक्तियों की कटौती किये बिना कुल राशि ₹**11,71,840** का भुगतान किया गया जिस पर राशि ₹**1,46,480**/- का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 30.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे अवगत करवाया गया था, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचर के प्रति किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार व तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की कटौती उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि /कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8.6 बिल/वाउचर राशि ₹14.06 लाख के अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था । लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार राशि ₹14,06,795.00 निर्माण कार्यों /विकास कार्यों हेतु निर्माण

सामग्री का क्रय दर्शाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है ।

क्र० सं०	आपूर्तिकर्ता का नाम	शीर्ष	प्रस्ताव संख्या /दिनांक	बिल संख्या	भुगतान की तिथि	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	191	31/05/2024	Stone	36400
2	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	192	31/05/2024	Stone	41600
3	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	219	31/05/2024	Stone	41600
4	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	195	31/05/2024	Stone	33800
5	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	196	31/05/2024	Stone	41600
6	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	207	31/05/2024	Stone	45900
7	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	174	31/05/2024	Stone	33800
8	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	175	31/05/2024	Stone	20800
9	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	224	31/05/2024	Stone	31200

10	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	225	31/05/2024	Stone	31200
11	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	176	17/05/2024	Stone	15600
12	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	239	17/05/2024	Stone	39000
13	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	177	17/05/2024	Stone	20800
14	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	226	17/05/2024	Stone	33800
15	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	247	17/05/2024	Stone	26000
16	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	180	17/05/2024	Stone	18200
17	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	214	17/05/2024	Stone	33800
18	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	186	17/05/2024	Stone	41600
19	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	228	17/05/2024	Stone	41600
20	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	172	17/05/2024	Stone	29700
21	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	208	17/05/2024	Stone	27000

22	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	209	17/05/2024	Stone	23895
23	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	194	17/05/2024	Stone	41600
24	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	222	17/05/2024	Stone	44200
25	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	232	17/05/2024	Stone	41600
26	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	233	17/05/2024	Stone	39000
27	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	200	17/05/2024	Stone	36400
28	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	204	17/05/2024	Stone	31440
29	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	241	17/05/2024	Stone	20960
30	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	199	17/05/2024	Stone	39000
31	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	244	17/05/2024	Stone	49400
32	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	179	17/05/2024	Stone	20960

33	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	236	17/05/2024	Stone	36680
34	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	237	17/05/2024	Stone	34060
35	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	185	17/05/2024	Stone	44200
36	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	227	17/05/2024	Stone	44200
37	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	197	17/05/2024	Stone	41600
38	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	231	17/05/2024	Stone	44200
39	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	198	17/05/2024	Stone	46800
40	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	230	17/05/2024	Stone	41600
						Total	**1406795**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 30.05.2025 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है| अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि /कोष में जमा करवाकर

अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए।

9 विविध अनियामितातायें

9.1 मस्ट्रोलों में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त बिना pass order के भुगतान भी कर दिया गया जोकि नियमों की अवहेलना है व संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिससे कि किए गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

Muster Roll No	Name of Work	Head	Description Of Item	CB Page No /Date	Amount
30658	c/o pucca path dhrot kheta	own sources	labour payment	07/13.05.2024	82891
				Total	**82891**

2. मनरेगा के तहत प्रधान द्वारा भुगतानों को सत्यापित न करना व पंचायत द्वारा पारित भुगतानों के प्रस्ताव संख्या व दिनांक, भुगतान वाउचर पर नहीं डालने बारे।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जाएगा। अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये

9.2 बिल वाउचर के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत बलोठ के लेखों के नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा जो व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1.बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

2. कुछ बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10,11 दिनांक 28-30.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त व्यय के वाउचर को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा

अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO , व वेंडर लिस्ट व BPL रजिस्टर,कारवाही रजिस्टर अपूर्ण		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12, दिनांक 18.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलन्स, प्राप्ति एवं भुगतान खाता इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ट्रायल बैलन्स, बैलन्स शीट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गए जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता

इस सम्बद्ध में जारी अंकेक्षण अभियाचना संख्या 11 दिनांक 30-05-2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि अभिलेखों को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत करना था। अत: इस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस सम्बद्ध में जारी अंकेक्षण अभियाचना संख्या 11 दिनांक 30-05-2025 के प्रतिउतर में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पंचायत द्वारा उक्त खरीदी गई सामग्री, स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करवा लिया जाएगा।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

12. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

(कृष्ण लाल नेगी) 03.X.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6385-6389 03 OCT 2025

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)178/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बलोठ, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 03.X.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट '1' पैरा संख्या '4(अ)' के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o		" GP Baloth "		Dev. Block Mehla	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	2683749	8169901	10853650	7863133	2990517

सचिव,
ग्राम पंचायत ___________
वि०ख० मैहला जिला चम्बा

24

परिशिष्ट '2' पैरा संख्या '5 अ' के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o " GP Baloth " D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	0	18668865	18668865	18668111	754

सचिव
ग्राम पंचायत
वि०ख० मैहला जिला चम्बा

परिशिष्ट '3' पैरा संख्या '4.3' के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP Baloth "	Dev. Block Mehla	Distt Chamba HP	Year Ended	2024-25
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	RGSA	0	754	754	0	754
2	MNREGA	0	18668111	18668111	18668111	0
	Total	0	18668865	18668865	18668111	754
	Balane As Per Cash Book					
1	Balance on 31.03.2025	(Own Source)				2990517
2	Balance on 31.03.2025	RGSA				754
3	Balance on 31.03.2025	MNREGA				0
				Total		2991271
	Balance as per Bank					
	A/c No	Branch	Head			
1	17010107057	HPSCB CHAMBA	GENERAL			556798
2	99151301503192,	HPGB DHARWALA	GENERAL			2095569
3	30820240505,	SBI MEHLA	BRGF			51008
4	11753195503,	SBI MEHLA	GENERAL			381474
5	20110103909,	HPSCB DHARWALA	RGSA			16017
6	99150100002927,	HPGB DHARWALA	WDF			91938
			CASH IN HAND			
	Total					3192804
				Diffrence		-201533
	1.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position					

सचिव
ग्राम पंचायत बलोठ
वि०ख० मैहला जिला चम्बा

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत बलोठ

परिशिष्ट - 4 पैरा संख्या '1.2' के संदर्भ में

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	01	राकेश कुमार	22/12/23	8/1/2.24	25	25/	
2	02	संजू	18/1/24	7/2/24	25	25	
3	.3	अनिल कुमार	8/3/24	26/3/24	25	25	
4	4	अजय कुमार	4/3/24	14/4/2002	25	25	
5	5	रविन्द्र सिंह	28/6/24	20/7/24	25	25	
6	6	अकेश कुमार	15/7/24	20/7/24	25	25/-	
7	7	लवली [illegible]	16/7/24	27/7/24	200	200/-	
8	8	रमेश कुमार	3/8/24	8/9/24	25/-	25/-	
9	9	सचिन कुमार	8/8/24	8/9/24	25	25/-	
10	10	सन्नी	07/11/24	7/12/24	25	25/-	
11	11	मन्नी m/s अंगरी	25/11/24	7/12/24	200/-	200/-	
12	12	सुरेश कुमार	12/11/24	7/12/24	25-	25-	
13	13	संदीप कुमार	8/1/25	22/1/25	25-	25-	
14	14	जग्गू	10/1/25	22 1/25	25	25	
15							
16							
17							
18						700/-	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

सचिव
ग्राम पंचायत
बि०ख० मैहला जिला चम्बा

परिशिष्ट - 05 पैरा संख्या 82, 83, 84 के सन्दर्भ में

GP Baloth DB Mehla Year 2024-25

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE ,SAND AGG, PURCHASE FROM VENDOR WITHOUT W,X FORM AND GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT ALSO TDS ON GST NOT DEDUCTED

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	Resolution No./Date DATE	Bill No./Date of Payment: Bill No	Bill No./Date of Payment: Date of Payment	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED	TDS ON GST
1	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	188	31/05/2024	Stone	28600	27238	1362	572
2	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	189	31/05/2024	Stone	36400	34667	1733	728
3	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	242	31/05/2024	Stone	23400	22286	1114	468
4	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	190	31/05/2024	Stone	44200	42095	2105	884
5	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	218	31/05/2024	Stone	41600	39619	1981	832
6	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	243	31/05/2024	Stone	36400	34667	1733	728
7	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	171	31/05/2024	Stone	32400	30857	1543	648
8	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	245	31/05/2024	Stone	41600	39619	1981	832
9	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	240	17/05/2024	Stone	26000	24762	1238	520
10	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	247	17/05/2024	Stone	26000	24762	1238	520
11	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	178	17/05/2024	Stone	13000	12381	619	260
12	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	238	17/05/2024	Stone	31200	29714	1486	624
13	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	181	17/05/2024	Stone	46800	44571	2229	936
14	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	184	17/05/2024	Stone	44200	42095	2105	884
15	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	246	17/05/2024	Stone	39000	37143	1857	780
16	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	201	17/05/2024	Stone	41600	39619	1981	832
17	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	202	17/05/2024	Stone	36400	34667	1733	728
18	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	173	17/05/2024	Stone	16200	15429	771	324
19	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	212	17/05/2024	Stone	35100	33429	1671	702
20	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	213	17/05/2024	Stone	35100	33429	1671	702
21	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	193	17/05/2024	Stone	44200	42095	2105	884
22	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	229	17/05/2024	Stone	41600	39619	1981	832
23	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	182	17/05/2024	Stone	41600	39619	1981	832
24	RATAN CHAND VILL AKHAL PO	SF	P-16/07.05.24	nil	P-16/07.05.24	SAND	7245.0	6900	345	145
25	RATAN CHAND VILL AKHAL PO	SF	P-16/07.05.24	nil	P-16/07.05.24	AGG	7245.0	6900	345	145
26	RATAN CHAND VILL AKHAL PO	SF	P-22/07.05.24	nil	P-22/07.05.24	SAND	172500.0	164286	8214	3450
27	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-22/07.05.24	nil	P-22/07.05.24	STONE	20960.0	19962	998	419
28	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-22/07.05.24	nil	P-22/07.05.24	STONE	99560.0	94819	4741	1991
29	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-25/07.05.24	nil	P-25/07.05.24	SAND	184000.0	175238	8762	3680
30	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-25/07.05.24	nil	P-25/07.05.24	STONE	162440.0	154705	7735	3249
31	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-29/07.05.24	nil	P-29/07.05.24	STONE	86280.0	82171	4109	1726
						Total	1542830	1469362	73468	30857

परिशिष्ट - 06 पैरा संख्या 8.5 के सन्दर्भ में

GP Baloth DB Mehla Year 2024-25

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE/BOULDER PAYMENT MADE TO VENDOR WITHOUT DEDUCTING VOIDS

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	Resolution No./Date DATE	Bill No.	Date of Payment	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	VOIDS NOT DEDUCTED
1	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	188	31/05/2024	Stone	28600	3575
2	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	189	31/05/2024	Stone	36400	4550
3	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	242	31/05/2024	Stone	23400	2925
4	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	190	31/05/2024	Stone	44200	5525
5	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	218	31/05/2024	Stone	41600	5200
6	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	243	31/05/2024	Stone	36400	4550
7	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	171	31/05/2024	Stone	32400	4050
8	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	245	31/05/2024	Stone	41600	5200
9	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	240	17/05/2024	Stone	26000	3250
10	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	247	17/05/2024	Stone	26000	3250
11	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	178	17/05/2024	Stone	13000	1625
12	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	238	17/05/2024	Stone	31200	3900
13	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	181	17/05/2024	Stone	46800	5850
14	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	184	17/05/2024	Stone	44200	5525
15	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	246	17/05/2024	Stone	39000	4875
16	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	201	17/05/2024	Stone	41600	5200
17	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	202	17/05/2024	Stone	36400	4550
18	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	173	17/05/2024	Stone	16200	2025
19	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	212	17/05/2024	Stone	35100	4388
20	Rinku S/o Sobhiya Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	213	17/05/2024	Stone	35100	4388
21	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	193	17/05/2024	Stone	44200	5525
22	Rattan chand S/o Punu Ram Vill Akhal	MGNREGA	04 16/03/2024	229	17/05/2024	Stone	41600	5200
23	Lal Singh S/o Gopi Ram Village Aghahar	MGNREGA	04 16/03/2024	182	17/05/2024	Stone	41600	5200
24	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-22/07.05.24	nil	P-22/07.05.24	STONE	20960.0	2620
25	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-22/07.05.24	nil	P-22/07.05.24	STONE	99560.0	12445
26	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-25/07.05.24	nil	P-25/07.05.24	STONE	162440.0	20305
27	LAL SINGH PO KHUNDEL	SF	P-29/07.05.24	nil	P-29/07.05.24	STONE	86280.0	10785
						Total	1171840	146480

29